Section 93 : Special provisions regarding liability to pay tax, interest or penalty in certain cases

(1) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), where a person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, dies, then—

(a) if a business carried on by the person is continued after his death by his legal representative or any other person, such legal representative or other person, shall be liable to pay tax, interest or penalty due from such person under this Act; and

(b) if the business carried on by the person is discontinued, whether before or after his death, his legal representative shall be liable to pay, out of the estate of the deceased, to the extent to which the estate is capable of meeting the charge, the tax, interest or penalty due from such person under this Act,

whether such tax, interest or penalty has been determined before his death but has remained unpaid or is determined after his death.

(2) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a Hindu Undivided Family or an association of persons and the property of the Hindu Undivided Family or the association of persons is partitioned amongst the various members or groups of members, then, each member or group of members shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person under this Act up to the time of the partition whether such tax, penalty or interest has been determined before partition but has remained unpaid or is determined after the partition.

(3) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, where a taxable person, liable to pay tax, interest or penalty under this Act, is a firm, and the firm is dissolved, then, every person who was a partner shall, jointly and severally, be liable to pay the tax, interest or penalty due from the firm under this Act up to the time of dissolution whether such tax, interest or penalty has been determined before the dissolution, but has remained unpaid or is determined after dissolution.

(4) Save as otherwise provided in the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), where a taxable person liable to pay tax, interest or penalty under this Act,–

(a) is the guardian of a ward on whose behalf the business is carried on by the guardian; or

(b) is a trustee who carries on the business under a trust for a beneficiary,

then, if the guardianship or trust is terminated, the ward or the beneficiary shall be liable to pay the tax, interest or penalty due from the taxable person upto the time of the termination of the guardianship or trust, whether such tax, interest or penalty has been determined before the termination of guardianship or trust but has remained unpaid or is determined thereafter.

धारा 93 : कतिपय मामलों में कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायित्व के संबंध में विशेष उपबंध

(1) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, तब,–

(क) यदि व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को उसकी मृत्यु के बाद उसके विधिक प्रतिनिधि या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जारी रखा जाता है तो ऐसा विधिक प्रतिनिधि या अन्य व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा; और

(ख) यदि ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाए जाने वाले कारबार को, चाहे उसकी मृत्यु से पूर्व या उसके पश्चात् जारी नहीं रखा जाता है तो उसका विधिक प्रतिनिधि मृतक की संपदा में से उस परिमाण तक, जिस तक संपदा ऐसे व्यक्ति से इस अधिनियम के अधीन शोध्य कर, ब्याज या शास्ति को चुकाने में सक्षम है, संदाय करने के लिए दायी होगा,

चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण उसकी मृत्यु से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो उसकी मृत्यु के पश्चात् असंदत्त रह गया है या अवधारित किया गया है।

(2) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों का संगम है और हिन्दू अविभक्त कुटुंब या व्यक्तियों के संगम के विभिन्न सदस्यों या व्यक्तियों के दलों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर दिया गया है, वहां प्रत्येक सदस्य या सदस्यों का समूह संयुक्त रूप से या पृथक्तः इस अधिनियम के अधीन कराधेय व्यक्ति से बंटवारे के समय तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या उसे बंटवारे के पश्चात् अवधारित किया गया है।

(3) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां कोई कराधेय व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी है, एक फर्म है और फर्म का विघटन कर दिया गया है, वहां प्रत्येक व्यक्ति, जो भागीदार था, संयुक्त रूप से या पृथकतः इस अधिनियम के अधीन फर्म से शोध्य, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा, चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण बंटवारे से पूर्व किया गया हो, किन्तु जो बंटवारे के पश्चात् असंदत्त रह गया है या उसे विघटन के पश्चात् अवधारित किया गया है।

(4) दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) में यथा उपबंधित के सिवाय, जहां इस अधिनियम के अधीन कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी कोई कराधेय व्यक्ति,–

(क) किसी प्रतिपाल्य का अभिरक्षक है, जिसकी ओर से अभिरक्षक द्वारा कारबार चलाया जाता है; या

(ख) कोई न्यासी है, जो फायदाग्राही के लिए किसी न्यास के अधीन कारबार का संचालन करता है,

तब यदि अभिरक्षा या न्यास को समाप्त कर दिया जाता है, वहां प्रतिपाल्य या फायदाग्राही कराधेय व्यक्ति से अभिरक्षा या न्यास के समापन के समय तक शोध्य कर, ब्याज या शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा चाहे ऐसे कर, ब्याज या शास्ति का अवधारण, अभिरक्षा या न्यास के समापन से पूर्व किया गया है, किन्तु जो असंदत्त रह गया है या उसे तत्पश्चात् अवधारित किया गया है।